

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल होना लगभग तय

पटना बन सकता है नपर पंचायत

ग्रामवासियों की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा, राजपत्र भी हो चुका था प्रकाशित

नगर पंचायत न बनाए जाने के विरोध में कुछ लोग गए थे उच्च न्यायालय की शरण में इसलिए रुक गई थी प्रक्रिया


नगर पंचायत के विरोध में उच्च न्यायालय की शरण में गए लोग नहीं रख पाए अपना पक्ष खारिज हुआ मामला

-रवि सिंह-

कोरिया, 17 जून 2024

(घटना-घटना)

कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पटना का नगर पंचायत बनाना अब लगभग तय है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल होना भी लगभग तय है क्योंकि उन्होंने ही ग्रामवासियों की मांग पर पटना एक कार्यक्रम में पहुंचने पर मंच से इसकी घोषणा की थी और जिसको लेकर राजपत्र का भी प्रकाशन हो चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटना के साथ ही एमसीबी जिले के ग्राम जनकपुर को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा पर अमल कर लिया था वहीं पटना का मामले में कुछ लोग जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे जैसा बताया जा रहा है कि द्वारा उच्च न्यायालय में



इस मामले में बाद दायर किया अपना विरोध दर्ज किया गया था और पटना को नगर पंचायत का प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया रुक गई थी जो अब पुनः प्रारंभ होना चाहिए।

होती नजर आने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है की उच्च न्यायालय से उन लोगों का बाद खारिज हो गया है जिन्होंने पटना नगर पंचायत के विरोध में बाद दायर किए थे। वैसे पूर्व की कांग्रेस सरकार के ही कार्यकाल में पटना एक तरह से नगर पंचायत घोषित हो चुका था और केवल कार्यालय खुलना और नगर पंचायत अनुसुन्धान की सरकार का संचालन शेष बात था जो अब संभव होगा ऐसा लगने लगा है। पूर्व बैकूंठपुर विधायक का तो नगर पंचायत गठन को लेकर पटना ग्राम में स्वागत समान भी हो चुका था और जिस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने भी पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री की तरीफ में कसीदे पढ़ थे और उपरिथ द्वारा कर्तव्य पर मंच पर बैठकर कांग्रेस की पूर्व विधायक के साथ नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया आरंभ होने के अवसर पर मुंह मोड़ा किया था।

अक्टूबर 2023 में नगर पंचायत गठन के लिए आवश्यक कार्यवाही हो चुकी थी पूर्ण तात्कालीन विधायक का भी हुआ था समान

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुरूप वर्ष 2023 के अक्टूबर माह तक पटना ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा मिल सके इसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई थीं। तात्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल हो सके और वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में घोषणा का फायदा मिल सके इसलिए तेज गति से कार्यवाहियां आवश्यक पूर्ण की गई जिससे चुनाव आचार सहित पूर्व नगर पंचायत का दर्जा पटना को मिल सके। कार्यवाहियों को लेकर पूर्णता प्रक्रिया जारी ही थी की तब ग्राम पटना को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जिसके बाद प्रक्रिया रुक गई बताया जाता है की यदि याचिका दायर नहीं होती पटना के नगर पंचायत के रूप में कार्यकाल का यह दूसरा वर्ष होता। वर्ष 2023 के अक्टूबर माह में जी पटना में तात्कालीन विधायक का स्वागत समान भी आयोजित किया गया था जो नगर पंचायत की घोषणा की बाबत से ही किया गया था जो धन्यवाद स्वरूप आयोजित स्वागत समान कार्यक्रम था। स्वागत समान कार्यक्रम अक्टूबर माह वर्ष 2023 के 9 तारीख को किया गया था और तब ग्राम के ही व्यापारियों सहित कांग्रेस एवं भाजपा नेता का कार्यक्रम में उपस्थित होकर तात्कालीन विधायक का दर्जा मंच से ही प्रदान करने का निर्णय लिया और घोषणा करी पूर्व मुख्यमंत्री से इस विषय पर निर्णय लेने की मांग की जिसपर मुख्यमंत्री सहमत हुए और उन्होंने घोषणा कर दी। बता दे की 3 जूलाई वर्ष 2022 के दिन भेंट मुलाकात के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना पहुंचे तब उन्होंने पटना के लोगों की मांग पर ग्राम पटना के विधायक का स्वागत करते नजर आए थे। वहीं तात्कालीन विधायक ने स्वागत समान कार्यक्रम में उपस्थित होकर तात्कालीन विधायक का स्वागत करते नजर आए थे। वहीं तात्कालीन विधायक ने स्वागत समान कार्यक्रम में पटना को उसी दिन 9 अक्टूबर 2023 को ही नगर पंचायत कहकर संघोंधित कर दिया गया था।

बैकूंठपुर के भाजपा विधायक पटना को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए पुनः प्रयास किया था

बता दे की हाल ही में अब फिर यह बताया जा रहा है की बैकूंठपुर के

भाजपा विधायक पटना को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए पुनः प्रयास किया गया है और जिसके लिए उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री साथ ही उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को मांग पर सौंपा है और जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से आशासन मिलने की बात बताई जा रही है। वहीं नगर पंचायत गठन को लेकर जो बात सामने आ रही है वह यह आ रही है की नगर पंचायत का गठन अब संभव हो चुका है क्योंकि उच्च न्यायालय में दायर याचिका द्वारा खारिज हो चुकी हैं जिससे विरुद्ध लगाई गई थीं और याचिका खारिज होती ही अब नगर पंचायत का गठन तय है और अब इसीलिए इस मामले में वर्तमान भाजपा नेता और विधायक श्रेय लेना चाहते हैं जबकि घोषणा और उस घोषणा पर अमल पूर्व की कांग्रेस सरकार के ही कार्यकाल में आरंभ हो चुका था और केवल एक याचिका जो न्यायालय में दायर किया गया था की बजाए जो वर्जन का गठन रुक गया था कांग्रेस नेताओं का कहना है। कुल मिलाकर अब नगर पंचायत पटना के गठन को लेकर श्रेय की गठन तय होना चाहिए।

भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पटना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 जूलाई वर्ष 2022 में पटना को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी

पटना ग्राम को नगर पंचायत बनाने की मांग वर्षों पुरानी थी। भाजपा शासनकाल में भी कई बार जब भाजपा 15 वर्ष तक लगातार सत्ता में रही तब यह प्रयास भाजपा नेता करते रहे लेकिन तब भाजपा की सरकार ने पटना को नगर पंचायत बनाने से इंकार कर दिया। सत्ता परिवर्तन उपरांत पटना को नगर पंचायत बनाए जाने का मामला कांग्रेस नेताओं के पास पहुंचा और इस मामले में कांग्रेस नेताओं को आपानी तरह दिखाई दायर किया गया था जो नगर पंचायत की घोषणा की बाबत से ही किया गया था जो धन्यवाद स्वरूप आयोजित स्वागत समान कार्यक्रम था। स्वागत समान कार्यक्रम अक्टूबर माह वर्ष 2023 के 9 तारीख को किया गया था और तब ग्राम के ही व्यापारियों सहित कांग्रेस एवं भाजपा नेता का कार्यक्रम में उपस्थित होकर तात्कालीन विधायक का दर्जा मंच से ही प्रदान करने का निर्णय लिया और घोषणा करी पूर्व मुख्यमंत्री से इस विषय पर निर्णय लेने की मांग की जिसपर मुख्यमंत्री सहमत हुए और उन्होंने घोषणा कर दी। बता दे की 3 जूलाई वर्ष 2022 के दिन भेंट मुलाकात के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना पहुंचे तब उन्होंने पटना के लोगों की मांग पर ग्राम पटना के विधायक का स्वागत करते नजर आए थे। वहीं तात्कालीन विधायक ने स्वागत समान कार्यक्रम में उपस्थित होकर तात्कालीन विधायक का स्वागत करते नजर आए थे। वहीं तात्कालीन विधायक ने स्वागत समान कार्यक्रम में पटना को उसी दिन 9 अक्टूबर 2023 को ही नगर पंचायत कहकर संघोंधित कर दिया गया था।

हाल ही में पटना को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर भाजपा से वर्तमान बैकूंठपुर विधायक भूपेश बघेल का प्रयास उप मुख्यमंत्री से क्षमता मिली की जल्द नगर पंचायत बनाए जाने की प्रक्रिया को आदिवासी प्रक्रिया के अध्यक्ष के विजय सिंह ने अपना बयान दिया है। विजय सिंह ने कहा की जब भाजपा शासनकाल में पूर्व में पटना के लोगों की मांग पर ही तब भाजपा के ही याचिका द्वारा वर्ष 2023 के अक्टूबर माह वर्ष 2023 के 9 तारीख को किया गया था और तब ग्राम के ही व्यापारियों सहित कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं ने भी पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री की तरीफ में कसीदे पढ़ थे और उपरिथ द्वारा कर्तव्य पर मंच पर बैठकर कांग्रेस की पूर्व विधायक के साथ नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया आरंभ होने के अवसर पर मूँह मोड़ा किया था। इस विषय पर निर्णय लेने की मांग की जिसपर मुख्यमंत्री सहमत हुए और उन्होंने घोषणा कर दी। बता दे की 3 जूलाई वर्ष 2022 के दिन भेंट मुलाकात के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना पहुंचे तब उन्होंने पटना के लोगों की मांग पर ग्राम पटना के विधायक का स्वागत करते नजर आए थे। वहीं तात्कालीन विधायक ने ही अपनी तरह दिखाई दायर किया गया था जो धन्यवाद स्वरूप आयोजित स्वागत समान कार्यक्रम था। इस विषय पर निर्णय लेने की मांग की जिसपर मुख्यमंत्री सहमत हुए और उन्होंने घोषणा कर दी। बता दे की 3 जूलाई 2022 को पटना को तीन दिन में प्रदान की गयी थी और जिसमें पटना को आत्मनंद विद्यालय की सौम्यांत घटना में जिला सहकारी बैंक की स्थापना प्रमुख थी जिससे से जिला सहकारी बैंक की स्थापना साथ ही नगर पंचायत की घोषणा पर अब अमल होना तय नजर आ रहा है।

उच्च न्यायालय से याचिका खारिज हो चुकी है जैसा सूची में कहा गया है जो पटना को नगर पंचायत बनाने से इंकार कर दिया। सत्ता परिवर्तन उपरांत पटना को नगर पंचायत बनाए जाने का मामला क

